(365)

राजस्व मण्डल ग्वालियर

सदस्य

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

R-479-I/2012

1–गुलाबचन्द तनय श्री राममिलन कुशवाहा उम्र–32वर्ष पेशा खेती निवासी ग्राम पगार खुर्द तहसील बिरसिंहपुर जिला सतना म.प्र.

2–प्रेमचन्द्र कुशवाहा तनय श्री राममिलन कुशवाहा उम्र–39वर्ष निवासी ग्राम पगार खुर्द तहसील बिरसिंहपुर जिला सतना म.प्र.

निगराकारगण

अधिवक्ता श्री के.के. मिश्रा द्वारा प्रस्तुत

02/02/12

बनाम

गैरनिगराकार

म.प्र.शासन ....

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू.रा.संहिता 1959.

निगरानी विरूद्ध न्यायालय अपर कलेक्टर सतना जिला सतना म.प्र. के रा.प्र.कं.132/निग./10–11में पारित आदेश दिनांक 17.10.11.

02/2/12

मान्यवर,

निगराकारगण निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत कर विनयी है:–

निगरानी के तथ्य:–

यह कि न्यायालय तहसीलदार बिरसिंहपुर,

कमशः:––––2

गुलाबचन्द

XXXIX(a)-BR(H)-11

(365)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक **R–479-I / 12** जिला–सतना

गुलाबचन्द्र कुशवाहा / शासन म0प्र0

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री के0डी0 मिश्रा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला सतना के प्रकरण क्रमांक 132/निगरानी/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 17.10.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25.07.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	